तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 02 / 2025 लालाराम व अन्य बनाम तुलसीराम व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
28.03.2025	पत्रावली मूल अपील के साथ साथ पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी लालाराम पुत्र धुडाजी पुरोहित, जाति– राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी– बावली, तहसील व जिला– सिरोही व अन्य के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। अप्रार्थी / प्रत्यर्थी तुससीराम पुत्र ओटीयाजी पुरोहित, जाति– राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी– खेतेश्वर चौक, पुरोहितों का वास, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही व अन्य के अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित। अप्रार्थी / प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह स्थगन प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पटवारी हल्का, नवारा को जारी आदेश पत्र क्रमांकःभू.अ. / 2019 / 652 दिनांक 09.12.2019 एवं इस आदेश की पालना में दायर शुद्धि पत्र संख्या 4 दिनांक 21.7.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी / प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के क्रम में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 81 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ताफैसला अपील प्रश्नगत कृषि भूमि के 1 / 2 हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण विक्रय या अन्य प्रकार से नही करने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने से अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान व पेरोकार सरकार की दिनांक 25.03.2025 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रश्नगत कृषि भूमि के 1 / 2 हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण विक्रय या अन्य किसी प्रकार से नही करने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि उपरोक्त कृषि भूमि में 1 / 2 खातेदारी हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पूर्व रसाधिकारी श्री ओटियाजी पुत्र धरमाजी का रहा है तथा शेष 1 / 2 हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 अपने खातेदारी हक हिस्से अनुसार सयुंक्ततः बतौर मालिक व खातेदार काबिज–काश्त है तथा बतौर खातेदार अपने हिस्से की भूमि पर उनके पूर्व रसाधिकारी के समय से निरन्तर व निर्बाध कृषि कार्य करते आ रहे है। उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पटवारी हल्का, नवारा को जारी उक्त आदेश दिनांक 09.12.2019 विधि एवं नियमानुसार है तथा उप तहसीलदार, कालन्द्री के उक्त आदेश की पालना में दायर शुद्धि पत्र संख्या 4 दिनांक 21.7.2020 से राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठियां भी विधि अनुरुप की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थी अपीलार्थीगण के सफल होने की कोई संभावना नही है। प्रार्थीगण ने गलत कथनों के आधार पर अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा ......लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2025 लालाराम व अन्य बनाम तुलसीराम व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं वजुहातों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि ग्राम बावली, पटवार हल्का, नवारा के खसरा संख्या 1000 से 1003, 1174, 530, 547 व 735 कुल किता 8 रकबा 6–29 हेक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा ताफैसला अपील बेचान व हस्तान्तरण करने पर रोक लगाई जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि का अपील के निर्णय तक विक्रय एवं अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही